

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 49

भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	29.20	111.41	140.61	29.20	858.94	888.14	32.25	100.65	132.90	
पूंजी	70.80	400.00	470.80	70.80	395.42	466.22	67.75	400.00	467.75	
जोड़	100.00	511.41	611.41	100.00	1254.36	1354.36	100.00	500.65	600.65	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.20	5.80	7.00	1.20	5.80	7.00	1.25	6.01	7.26
उद्योग										
इंजीनियरिंग उद्योग										
2. आटोमेटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास	2852	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00
3. एच.एम.टी. (श्रीनगर)	2852	...	9.85	9.85	...	14.43	14.43
4. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
4.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	2852	...	36.74	36.74	...	36.74	36.74	...	36.74	36.74
4.02 भारत भारी उद्योग निगम लि.	2852	1.34	1.34
Total		...	36.74	36.74	...	38.08	38.08	...	36.74	36.74
5. गारंटी शुल्क संबंधी सब्सिडी										
5.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	2852	...	2.64	2.64	...	2.64	2.64	...	2.64	2.64
5.02 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	2852	...	1.12	1.12	...	1.12	1.12
5.03 भारत भारी उद्योग निगम लि.	2852	...	0.56	0.56	...	0.56	0.56	...	0.56	0.56
5.04 एच.एम.टी. लि.	2852	...	4.69	4.69	...	4.69	4.69	...	4.69	4.69
5.05 टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2852	1.94	1.94
Total		...	9.01	9.01	...	10.95	10.95	...	7.89	7.89
6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2852	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न अनुदान										
7.1 भारत भारी उद्योग निगम लि.	2852	56.64	56.64
8. ऋण को बट्टे खाते डालना										
8.01 भारत भारी उद्योग निगम लि.	2852	139.47	139.47
8.02 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	2852	2.03	2.03
8.03 टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2852	19.11	19.11
Total		160.61	160.61
9. ब्याज को बट्टे खाते डालना										
9.01 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	2852	443.18	443.18
9.02 टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2852	79.24	79.24
Total		522.42	522.42
10. अन्य व्यय	2852	3.00	0.01	3.01	3.00	0.01	3.01	6.00	0.01	6.01
जोड़-उद्योग		28.00	105.61	133.61	28.00	853.14	881.14	31.00	94.64	125.64
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
12. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
इंजीनियरिंग उद्योग										
12.01 नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	6858	6.69	6.69
12.02 एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लि.	6858	11.78	11.78
12.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	6858	14.59	14.59
12.04 माईनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि.	6858	1.80	1.80
12.05 भारत यंत्र निगम लि.	6858	60.84	60.84
12.06 भारत भारी उद्योग निगम लि.	6858	54.27	54.27

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12.07 प्रागा टूलस निगम लि.	6858	11.53	11.53
12.08 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	6858	18.93	18.93
12.09 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और सांविधिक बकायों के लिए एकमुश्त राशि	6858	...	250.00	250.00	250.00	250.00
उपभोक्ता उद्योग									
12.10 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	6860	4.94	4.94
12.11 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	6860	1.43	1.43
12.12 नेपा लि.	6860	48.42	48.42
12.13 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि.	6860	15.10	15.10
12.14 भारत लेदर कारपोरेशन लि.	6860	0.29	0.29
12.15 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	6860	11.98	11.98
12.16 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	6885	10.87	10.87
12.17 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनरुद्धार योजना के लिए एक मुश्त राशि	6854	...	150.00	150.00	...	72.62	72.62	...	150.00
12.18 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया	6854	49.34	49.34
		...	400.00	400.00	...	395.42	395.42	...	400.00
13. सरकारी उद्यमों में निवेश	4854	31.75	...	31.75	31.73	...	31.73	15.00	...
	4858	11.56	...	11.56	11.56	...	11.56	18.84	...
	4860	2.95	...	2.95	2.95	...	2.95	2.50	...
	6854	0.01	...
	6858	11.58	...	11.58	11.58	...	11.58	18.88	...
	6860	2.96	...	2.96	2.98	...	2.98	2.52	...
	<i>Total</i>	<i>60.80</i>	...	<i>60.80</i>	<i>60.80</i>	...	<i>60.80</i>	<i>57.75</i>	...
कुल जोड़	100.00	511.41	611.41	100.00	1254.36	1354.36	100.00	500.65	600.65
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.
	शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.
इंजीनियरिंग उद्योग									
13.01 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	12858	...	178.20	178.20	...	178.00	178.00	...	180.00
13.02 हिन्दुस्तान मशीन टूलस लि.	12858	...	29.50	29.50	...	29.50	29.50	5.00	6.00
13.03 हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	12858	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.01	...
13.04 स्कूटर्स इंडिया लि.	12858	4.51	1.50	6.01	4.51	1.50	6.01	2.00	0.75
13.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	12858	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.57	...
13.06 इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	12858	2.65	...	2.65	2.65	...	2.65	10.12	...
13.07 एन्ड्र्यू यूल एंड कम्पनी लि.	12858	7.00	...
13.08 भारत यंत्र निगम लि.	12858	...	16.50	16.50	...	16.50	16.50	3.51	11.00
13.09 भारत भारी उद्योग निगम लि.	12858	9.98	1.50	11.48	9.98	...	9.98	3.51	0.10
13.10 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	12858	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...
13.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	12858	...	6.22	6.22	...	6.22	6.22	...	0.80
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग	26.14	233.42	259.56	26.14	231.72	257.86	40.72	198.65	239.37
उपभोक्ता उद्योग									
13.12 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	12860	0.01	85.61	85.62	0.01	106.69	106.70	0.01	57.32
13.13 नेपा लि.	12860	0.01	...
13.14 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	12860	3.90	...	3.90	3.90	...	3.90	5.00	11.10
13.15 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि.	12860	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
13.16 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	12860	0.02	...	0.02
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	5.91	85.61	91.52	5.93	106.69	112.62	5.02	68.42	73.44

विकास शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब. बा.सं.	जोड़	
										(करोड़ रुपए)
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग										
13.17 सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	12854	0.01	...	0.01
13.18 सार्वजनिक उद्यमों की सतत व्यवहार्यता के लिए संकटकालीन अधिशेष निवेश	12854	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
जोड़	37.05	319.03	356.08	37.07	338.41	375.48	52.75	267.07	319.82	
ग. आयोजना परिव्यय										
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	52.34	233.42	285.76	52.34	231.72	284.06	69.97	198.65	268.62
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	5.91	85.61	91.52	5.93	106.69	112.62	5.02	68.42	73.44
3. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग	12854	31.75	...	31.75	31.73	...	31.73	15.01	...	15.01
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़	100.00	319.03	419.03	100.00	338.41	438.41	100.00	267.07	367.07	

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **आटोमेटिव उद्योगों का अनुसंधान व विकास:** इसमें ए.आर.ए.आई., पुणे, वी.आर.डी.ई., अहमदनगर और सी.आई.आर.टी., पुणे जैसे अनुसंधान संस्थानों में लगातार बदलते सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों का परीक्षण करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फार आटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग को अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

3. **एच.एम.टी. चिनार वाचिस लि., श्रीनगर:** इसमें एच.एम.टी. चिनार वाचिस लि., श्रीनगर (एच.एम.टी. की एक सहायक कम्पनी) के कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए व्यवस्था है।

4 और 5. **ब्याज और गारंटी शुल्क संबंधी आर्थिक सहायता:** इसमें हिन्दुस्तान केबल लि., बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि. और जेस्साप (भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कम्पनियां) एच.एम.टी. लि., भारी इंजीनियरी निगम लि. और भारतीय टायर निगम लि. के उनकी अनुमोदित पुनरुत्थान योजनाओं के एक भाग के रूप में पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना के लिए लेन-देनों के लेखा समायोजनों को लागू करने के लिए व्यवस्था हैं। इनकी प्रतिपूर्ति प्राप्तिद्वारा की जाती है।

6. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक वित्त पर ब्याज सब्सिडी:** इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था करने की एक स्कीम के तहत देय ब्याज सब्सिडी के लिए व्यवस्था है।

7. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान:** इसमें जेसप (भारत भारी उद्योग निगम लि. की एक सहायक कम्पनी) को उनके अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के एक भाग के रूप में अनुदान के लिए व्यवस्था है।

8. **ऋणों को बट्टे खाते डालना:** इसमें जेसप (भारत भारी उद्योग निगम लि. की एक सहायक कम्पनी), हिन्दुस्तान पेपर निगम और भारतीय टायर निगम लि. के ऋणों को, उनके अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के एक भाग के रूप में बट्टे खाते डालने की व्यवस्था है।

9. **ब्याज को बट्टे खाते डालना:** इसमें हिन्दुस्तान पेपर निगम और भारतीय टायर निगम लि. के मामले में देय और अर्जित ब्याज को, उनके अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के एक भाग के रूप में बट्टे खाते डालना/माफ करने की व्यवस्था है।

10. **अन्य व्यय:** इसमें द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, (एफ.सी.आर.आई.) आदि और कोयला गैसीकरण परियोजना को अनुदान प्रदान करने के लिए व्यवस्था है। प्रवाह मापन और नियंत्रण उपायों से संबंधित कार्य करने और भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 1987 में एक यू.एन.डी.पी. परियोजना के रूप में एफ.सी.आर.आई. की स्थापना की गई।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए व्यवस्था है।

12. **सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** इसमें घाटा देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके संसाधनों में अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए व्यवस्था है। इसमें नकद हानियों, वी.आर.एस./वी.एस.एस. के कार्यान्वयन और कर्मचारियों के सांविधिक बकायों में कमी के व्यय को वहन करने के लिए 250 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। घाटा देने वाली सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों की पुनर्संरचना/पुनर्गठन पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 150 करोड़ रुपए का एक मुश्त व्यवस्था है।

13. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** इसमें ऋण और इक्विटी के लिए ज्यादातर 50:50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, गैर संकीर्णता, आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि स्कीमों को शुरू किया जा सके या जारी रखा जा सके ताकि उनके कार्यानिष्पादन और व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

13.01 **भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड:** यह 1960 में स्थापित की गई थी। यह कम्पनी बिजली बोर्डों और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादक उपस्कर, पारेषण और दुलाई उपस्करों के विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है।

13.02 **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.:** इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह कम्पनी अति सूक्ष्म (हाई प्रिसिशन) मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रैक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेयरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है। एच.एम.टी. की चार अव्यवहार्य इकाइयों को बंद कर दिया गया है। बाद में, संगठनात्मक पुनर्संरचना के रूप में इसके घड़ी, मशीन टूल्स, बेयरिंग्स और अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारी समूहों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों नामतः एचएमटी (वाचिस) लि., एचएमटी (मशीन टूल्स) लि., एचएमटी (बेयरिंग्स) लि., एचएमटी (चिनार वाचिस) लि. और एचएमटी (इण्टरनेशनल) लि. में परिवर्तित कर दिया गया है।

13.03 **हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड:** यह 1958 में निगमित की गई थी। इसमें तीन इंजीनियरी इकाइयां शामिल हैं - हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दी हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउन्डरी फोर्ज प्लांट। निगम इस्पात प्लांट उपस्कर, उत्खनन, प्लानिंग मशीन, बोरिंग मशीन और कास्टिंग और फोरजिंग का भी उत्पादन करता है। बी.आई.एफ.आर. ने एक पुनरुत्थान/पुनर्संरचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान की, जो कार्यान्वित की गई लेकिन विफल हो गई। झारखण्ड सरकार के परामर्श से आगे और संरचना करने का प्रस्ताव किया गया है।

13.04 **स्कूटर्स इण्डिया लि.:** इसका निगमन 1972 में किया गया था। यह स्कूटर, तिपहिया स्कूटरों और पंखों का निर्माण कर रही है। बी.आई.एफ.आर. ने एक पुनरुत्थान/पुनर्संरचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसने लाभ दर्शाना आरम्भ कर दिया है और बी.आई.एफ. के सीमा क्षेत्र से बाहर आ गई है।

13.05 **हिन्दुस्तान केबल्स लि.:** 1952 में स्थापित की गई थी। यह कम्पनी भारत में आधुनिक दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है। एक पुनर्गठन

योजना कार्यान्वित की गई है। हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल) को विनिवेश मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया है क्योंकि विनिवेश हाल ही में भारी उद्योग विभाग को वापस कर दिया गया है।

13.06 इन्ट्रूमेंटेशन लि.: इसकी स्थापना, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, तेल शोधक कारखानों और अन्य प्रक्रिया संयंत्रों को इन्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियां प्रदान करने में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 1964 में की गई थी। एक पुनरुत्थान योजना की स्वीकृति दी गई है। आईएलके को विनिवेश हेतु विनिवेश मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया है।

13.07 एन्ड्रू यूल् एण्ड कम्पनी लि.: इसकी 1979 में स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से विनिर्माण कार्यकलापों में संलग्न इस कम्पनी की इस समय आठ इकाईयां हैं जो औद्योगिक पंखे और चाय की मशीनें, एच.टी. और एल.टी. बिजली के उपस्कर, कान्ट्रैक्टर, ओवरलोड रिले, मोल्डेड केस सरकिट ब्रेकर्स, विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, कन्वेयर बैल्ट, फैन और वी. बैल्ट, वायु-प्रदुषण नियंत्रण उपस्कर का निर्माण और चाय उत्पादन का काम करती है। एक पुनर्संरचनात्मक योजना कार्यान्वित की गई है।

13.08 भारत यंत्र निगम लि.: इसे 1986 में छः सहायक कम्पनियों अर्थात् भारत हैवी प्लेट्स एंव वैसल्स, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., तुंगमद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., रिचर्डसन एंड क्रूदास लि. (1972) और ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लि. के साथ धारक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। कम्पनी का निगमित कार्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। बी.आई.एफ.आर. ने भारत पंप और कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. और रिचर्डसन और क्रूदास लि. (1972) के लिए पुनरुत्थान/पुनर्संरचनात्मक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। बीएचपीवी, आर एण्ड सी और टीएसपीएल के मामले में विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टीएसएल के मामले में प्रबंधक वर्ग को बदलने/अधिग्रहण/विलयन आदि के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। बी एण्ड आर के मामले में, वित्तीय पुनर्संरचना विचाराधीन है।

13.9 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड: 1986 में एक नियंत्रित कम्पनी के रूप में इसकी संस्थापना की गई जिसमें सात सहायक कम्पनियां अर्थात् बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., (बीएससीएल) जैसप एण्ड कम्पनी लि., (जे.सी.एल.), ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि., (बी.सी.एल.) भारत वैगन और इंजीनियरी कम्पनी लि., (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) भारत प्रोसेसिंग और मैकेनिकल इंजीनियर्स लि., (बीपीएमईएल) और बी.बी.जे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. शामिल हैं। इसका निगमित कार्यालय कलकत्ता में है। बी.आई.एफ.आर. ने ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि., बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. इसकी सहायक कम्पनियों सहित और जैसप एण्ड कम्पनी लि. के लिए पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजनाओं की स्वीकृति दी है। ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कं. लि. (बी.पी.एम.ई.एल.) और इसकी सहायक कम्पनी वेहबर्ड इण्डिया लि. (डब्ल्यू.आई.एल.) को बंद कर दिया गया है और कम्पनियों को समाप्त किया जा रहा है। आर.बी.एल., जो बी.एस.सी.एल. की एक सहायक कम्पनी है, और डब्ल्यू.आई.एल. के सभी कर्मचारियों ने वीएसएस/वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति ले ली है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। घाटे वाली सात रिफैक्टरी इकाईयां और बी.एस.सी.एल. के जेलिंघम यार्ड को बंद कर दिया गया है। भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स जो बीएससीएल को एक सहायक कम्पनी है, को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। बीबीवीएल के सभी कर्मचारियों को वीआरएस के तहत अलग कर दिया गया है। बीडब्ल्यूईएल, बीसीएल, बी.बी.जे और बीएससीएल के मामले में विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसप के मामले में, विनिवेश के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

13.10 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई): यह भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए प्रवाह मापन और नियंत्रण उपकरणों से संबंधित कार्यकलाप करने और प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए यूएनडीपी परियोजना के रूप में 1987 में निगमित की गई थी।

13.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.: यह 1970 में निगमित की गई थी। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेश में टर्न की आधार पर औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आपूर्ति और स्थापना सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। एक पुनर्संरचनात्मक योजना स्वीकृत की गई है और कार्यान्वयनाधीन है।

13.12 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. - देश में इस की स्थापना 1970 में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना करने के लिए की गई थी। इस की 2 इकाईयां और 3 सहायक कम्पनियां हैं। एक पुनर्संरचनात्मक योजना विचाराधीन है। इस की घाटा देने वाली सहायक कम्पनियां मंड्या नेशनल पेपर मिल्स लि. को आई.डी.अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया है और अब समाप्त होने जा रही है।

13.13 नेपा लि.: इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह केवल न्यूजप्रिंट का उत्पादन करता है। विनिवेश योजना अब तक सफल नहीं हुई है।

13.14 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.: इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह कम्पनी नमक और ब्रोमीन के उत्पादन और बिक्री करने के काम में लगी हुई है। इसकी एक सहायक कम्पनी है जिसका नाम सांभर साल्ट्स लिमिटेड है।

13.15 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि.: यह कम्पनी 1960 में निगमित की गई थी। कम्पनी संवेदनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (काली और सफेद), सिने फिल्म ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों आदि का निर्माण कर रही है। संचित हानियों के कारण इसे बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजा गया है। कम्पनी की पुनरुत्थान योजना पर विचार किया जा रहा है।

13.16 टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: 1984 में इसकी स्थापना दो रूप कम्पनियों यथा, मैसर्स इन्चेक टायर लिमिटेड और राष्ट्रीय रबड़ विनिर्माण लिमिटेड जैसे राष्ट्रीय उपक्रमों को शामिल करने के द्वारा हुई थी। इस उपक्रम में आटोमोबाइल और साइकिल टायरों, ट्यूबों और अन्य रबड़ से बनी वस्तुओं जैसे कि फेन और वी-बैल्टों का उत्पादन किया जाता है। कंपनी ने काकीनाड़ा स्थित अपनी टायर निर्माण इकाई का आधुनिकीकरण किया है। तथापि, संचित हानियों के कारण, यह बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन है। इसकी टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है।

13.17 भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लि.: यह 1965 में निगमित की गई थी। इसका उद्देश्य देश में सीमेंट के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना करना है। इसके 3 प्रचालनात्मक और 7 गैर प्रचालनात्मक एकक हैं। संचित हानियों के कारण यह बी.आई.एफ.आर. के संदर्भाधीन है। सी.सी.आई. की सभी इकाईयां को बेचे जाने का प्रस्ताव है और प्रक्रिया चल रही है।

13.18 सार्वजनिक उद्यमों की निरन्तर व्यवहार्यता के लिए निर्णायक सन्तुलित निवेश: विभाग के अन्तर्गत अन्य सार्वजनिक उद्यमों के पक्ष में सरकारी स्वीकृतियों पर आधारित मुख्यतया पूंजी निवेशों के लिए निधियों की उनकी आवश्यकता के अनुसार नई सेवा/सेवा के नए लिखित दस्तावेज के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त प्रावधान अनुवर्ती रूप में पुनर्विनियोजित किया जाएगा।